न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–153/2026
चौथम थाना काण्ड सं0–241/21
इन्दु देवी एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

13.03.2026

आवेदिका/अभियुक्तगण **1. इन्दु देवी, 2. बेबी कुमारी, 3. नितीश भारती, 4. प्रदीप कुमार, 5. अमरेन्द्र प्रसाद उर्फ फूचो, 6. रवि कुमार उर्फ शिशु, 7. राज किशोर प्रसाद, 8. धर्मेन्द्र प्रसाद उर्फ धारो, 9. अखिलेश प्रसाद उर्फ अखिलेश्वर प्र0 शर्मा, 10. हितेश कुमार उर्फ पिन्टू, 11. सुमन कुमार, 12. दर्पण कुमार एवं 13. गुलशन कुमार** की ओर से दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री आजाद ठाकुर के द्वारा संचालित किया गया। मामला जमानत के दुरूपयोग का है। पुकार पर आवेदिका/अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन यह है कि आवेदकगण जमानत पर थे तथा दिनांक 07.11.2025 को अभिलेख आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु निर्धारित था तथा तारीख को लेकर गलतफहमी हो जाने के कारण आवेदकगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, परन्तु उनकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे माननीय द्वारा अस्वीकृत कर आवेदकगण का जमानत बंध–पत्र उक्त तिथि को खण्डित कर दिया गया है। आवेदकगण की ओर से अब ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा प्रत्येक निर्धारित तिथि को वे शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का वचन देते है। आवेदकगण मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदिका/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध किया गया।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–153/2026
चौथम थाना काण्ड सं0–241/21

लगातार
13.03.2026

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद में जमानत पर थे। अभिलेख प्रतिलिपि हेतु निर्धारित था। आवेदकगण को मामले में सदेह उपस्थित रहने का निर्देश था, इसके बावजूद भी जब वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो उनका जमानत बंध–पत्र दिनांक 07.11.2025 को विखण्डित कर दिया और उसके विरूद्ध गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। आवेदकगण की ओर से यह कहा गया है कि आवेदकगण जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किये हैं, बल्कि तिथि को लेकर गलत फहमी हो जाने के कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, किन्तु उनकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया था। अब आवेदकगण के द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा वे प्रत्येक निर्धारित तिथि को मामले में सदेह उपस्थित रहेंगे। आवेदकगण आज न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किये हैं, ऐसी दशा में आवेदिका/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका/अभियुक्तगण को मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदिका/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।